29-02-2024 मूल वाद के सलंग्न आवेदन पत्रावली आज तलब की गई।

चूंकि मूलवाद का जरिये राजीनामा विद्रो के निस्तारण हो गया है। ऐसी सूरत में उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को आगे चलानें का कोई औचित्य नहीं रहा है। लिहाज़ा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.12.2020 को निरस्त किया जाकर आवेदन पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी